23.03.2020 को "CAA, NPR और NRC विरोध दिवस" मनाएं...

CAA (सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट), NPR (नेशनल पापुलेशन रजिस्टर) और NRC (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप) भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के विपरीत हैं।

- भारतीय संविधान की मूल भावना यह है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता उसके धर्म के आधार पर तय नही की जानी चाहिए। किन्तु, CAA एक धर्म विशेष के विस्थापितों को भारत की नागरिकता मिलने से वंचित करता है।
- NRC (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप), NPR (नेशनल पापुलेशन रजिस्टर) के आधार पर बनाया जाएगा। NPR बनाते समय प्रत्येक व्यक्ति को यह बताना होगा कि उनके माता पिता का जन्म कब और कहाँ हुआ था। यदि यह विवरण उपलब्ध नही कराया जाता है तो उक्त व्यक्ति को संदेहास्पद नागरिकों की सूची में रखा जा सकता है।
- प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता प्राप्ति की सुनिश्चितता के लिए, संभव है एक बड़ी राशि रिश्वत के रूप में देनी पड़े।
- आसाम में NRC को जब अंतिम रूप दिया गया , 19 लाख लोग अपनी नागरिकता खो चुके हैं। एक कारगिल युद्ध का हीरो और एक विधायक (MLA) भी उन लोगों में से हैं, जिन्हें नागरिकता प्राप्त नही हुई। सम्पूर्ण भारतवर्ष में NRC लागू करने की स्थिति में न जाने कितने करोड़ लोगों को अपनी नागरिकता से वंचित होना पड़ेगा ?
- केवल मुसलमान ही नही, उन लोगों को भी नागरिकता न मिले जो सरकार का विरोध और आलोचना करेंगे।
- CAA, NPR और NRC धर्म के आधार पर लोगों को बांटते हैं, विशेष रूप से कार्यरत समुदाय (working masses) को।

23.03.2020, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहादत दिवस है। BSNLEU की CEC मीटिंग ने कर्मचारियों को आव्हान किया है कि 23.03.2020 को, " CAA, NPR और NRC विरोध दिवस" के रूप में मनाया जाए। उस दिन कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी के साथ डिमांड बैज धारण करने का भी CEC ने आव्हान किया है। भोजन अवकाश में गेट मीटिंग्ज आयोजित कर उक्त मीटिंग में भारतीय संविधान की प्रस्तावना (preamble) का वाचन किया जाए। सभी सर्किल और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज से अनुरोध है कि कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित करें।

बैज का प्रारूप (Format of the badge)

23.03.2020

हम, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आदरपूर्ण श्रद्धान्जलि अर्पित करते हैं।

हम CAA, NPR और NRC का विरोध करते हैं।